KIND ATT :- Mr. Pankaj Rastogi, AED (Project).
HO N. Delhi

ANNEXURE - I
Page - 1

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 155 के अधीन पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

पुलिस स्टेशन सिधौली सब-डिवीजन सिधौली

जिला सीतापुर पर दी गई।

संख्या 387 63 रिपोर्ट किये जाने का दिनांक तथा समय 1/6/07 17.00

1- अभियोक्ता या सूचना देने वाले का नाम तथा निवास स्थान श्री [illegible] कारखाना प्रबन्धक [illegible] चीनी मिल्स

2- विपक्षी का नाम तथा निवास-स्थान अज्ञात [illegible] नकल तहरीर

3- अपराध की धारा जो लागू हो 427 IPC

4- घटना का स्थान, दिनांक तथा समय [illegible] गांव के बीच टावर संख्या 8 और टावर संख्या 9 के बीच दि० 29/5/07 [illegible] समय अज्ञात तहरीर

5- गवाहों के नाम तथा निवास-स्थान अदम तहरीर

नकल तहरीर हिन्दी वादी

6- घटना का संक्षिप्त विवरण आर० [illegible] संख्या-1-15.02 दिनांक May 30, 2007 कोतवाल कोतवाली सिधौली जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश विषय 132 के०वी० [illegible] से तार कट दिये जाने के सम्बन्ध में महोदय उ०प्र० [illegible] के आदेशानुसार सह विद्युत उत्पादन हेतु 132 के०वी० ट्रान्समिशन लाइन का कार्य उ०प्र० पावर कारपोरेशन के सुपरविजन डाल[illegible] चीनी मिल्स [illegible] जनपद सीतापुर [illegible] यह लाइन डालमिया चीनी मिल्स, रामगढ़ से सिधौली पावर स्टेशन तक [illegible] 29/5/07 को रात [illegible] गांव के बीच टावर संख्या 8 और टावर संख्या 9 के बीच [illegible] मोटी एल्युमिनियम तार जिसकी लम्बाई करीब 400 मीटर होगी, [illegible]

सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का चिन्ह

For Dalmia Cement (Bharat) Limited

KIND ATT:- Mr. Pankaj Rastogi. AED (Project) HQ. N. Delhi

ANNEXURE - I
Page - 2.

आरसीएम:आरजी:एडीएम:01:11:01: दिनॉक 23.06.2007

सेवा में,

श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक
थाना कोतवाली
सिधौली (सीतापुर)।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार रामगढ़ चीनी मिल्स, रामगढ़ द्वारा सह:विद्युत उत्पादन योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन करके 132 के0वी0 सब-स्टेशन, सिधौली को देय है, जो कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 की देखरेख में उक्त कार्य युद्व-स्तर पर पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हर दूसरे-तीसरे दिन हमारे टावर सॅख्या-6 से 24 के बीच लगाये जा रहे तार काट लिये जा रहे हैं। सम्बन्धित टावर से तार कटने की सूचना आप श्रीमान् को पहले भी दी जा चुकी है। उपरोक्त टावर के बीच आने वाले गॉव निम्नलिखित हैं :-

1. टावर नम्बर-6 से 11 के बीच - अलादादपुर, बाड़ी, धरमपुर, निजामवाद, तारपुरवा।
2. टावर नम्बर-19 से 24 के बीच - बेलहरिया, छेरिया पुरवा

उपरोक्त के सन्दर्भ में आप श्रीमान् जी से पुनः निवेदन है कि शासन की नीतियों के अनुरूप पावर प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण कराने एवं विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर राज्य सरकार को विद्युत आपूर्ति होने तक, लगाये गये टावरों पर लगे तारों की सुरक्षा हेतु कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाई करने का कष्ट करें, जिससे तार कटिंग के कारण परियोजना में हो रहे विलम्ब को रोका जा सके।

सहयोग हेतु धन्यवाद।

भवदीय,
[signature]
सहायक प्रबन्धक (सुरक्षा)

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।
1. क्षेत्राधिकारी, सिधौली, जनपद- सीतापुर।

For Dalmia Cement (Bharat) Limited
[signature]

[illegible]

ANNEXURE-I

KIND ATT:- Mr. Pankaj Rastogi, AED (Project) H.O. N. Delhi

श्री जितेन्द्र गिरि,
प्रभारी निरीक्षक सिधौली।

------- -------- ---आपके पास सहायक प्रबन्धक सुरक्षा रामगढ़ चीनी मिल जनपद सीतापुर का पत्र दिनांक:23.6.2007 ,जो आपको सम्बोधित तथा मुझ क्षेत्राधिकारी को पृष्ठांकित है, जिसमें उ0प्र0शासन के आदेशानुसार रामगढ़ चीनी मिल्स ,रामगढ़द्वारा सह विद्युत उत्पादन योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन करके 132के0वी0 सब स्टेशन सिधौली को दिये जाने की कार्य प्रक्रिया में टावर के तार असमाजिक तत्वों द्वारा काट लिये जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने विषयक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुये टावर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त [illegible] विद्युत योजना में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके।

23/6/07

दिनांक: जून 23,2007

(इनायत उल्ला खाँ)
क्षेत्राधिकारी- सिधौली
सीतापुर।

प्रतिलिपि-सहायक प्रबन्धक(सुरक्षा)रामगढ़ चीनी मिल्स,रामगढ़ को उक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

For Dalmia Cement (Bharat) Limited